भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- †*56

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

जनजातियों को आवंटित धनराशि

†*56. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों के लिए आवंटित और व्यय किए गए बजट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार जनजातियों के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ग): विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

*****

"जनजातियों को आवंटित धनराशि" के संबंध में श्री के. राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*56 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जनसंख्या

क्र.सं.	भारत/राज्य	अजजा जनसंख्या
	भारत	10,45,45,716
1	आंध्र प्रदेश	26,31,145
2	अरुणाचल प्रदेश	9,51,821
3	असम	38,84,371
4	बिहार	13,36,573
5	छत्तीसगढ़	78,22,902
6	गोवा	1,49,275
7	गुजरात	89,17,174
8	हरियाणा	एनएसटी
9	हिमाचल प्रदेश	3,92,126
10	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	12,75,106
11	झारखंड	86,45,042
12	कर्नाटक	42,48,987
13	केरल	4,84,839
14	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	2,18,193
15	मध्य प्रदेश	1,53,16,784
16	महाराष्ट्र	1,05,10,213
17	मणिपुर	11,67,422
18	मेघालय	25,55,861
19	मिजोरम	10,36,115
20	नागालैंड	17,10,973
21	ओडिशा	95,90,756
22	पंजाब	एनएसटी
23	राजस्थान	92,38,534
24	सिक्किम	2,06,360
25	तमिलनाडु	7,94,697
26	तेलंगाना	3286928
27	त्रिपुरा	11,66,813
28	उत्तराखंड	2,91,903
29	उत्तर प्रदेश	11,34,273
30	पश्चिम बंगाल	52,96,953
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28,530
32	चंडीगढ़	एनएसटी
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1,93,927
34	दिल्ली	एनएसटी
35	लक्षद्वीप	61,120
36	पुदुचेरी	एनएसटी

स्रोत: जनगणना 2011, महापंजीयक कार्यालय, भारत

एनएसटी: कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ नहीं (जैसा कि 2011 में था), एनए: लागू नहीं

(ख) से (ग): पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटन और व्यय निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**डीएपीएसटी आवंटन (ब.अ.)**	**डीएपीएसटी आवंटन (स.अ.)**	**व्यय**	**संशोधित अनुमान में से व्यय %**
2021-22	78256.31	85930.47	82530.58	96.04
2022-23	87584.66	92781.15	90972.76	98.05
2023-24	117943.73	107455.64	104777.80*	97.51

*अनंतिम

डेटा स्रोत: ब.अ. (बीई) और व्यय। - व्यय प्रोफ़ाइल: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट का विवरण 10ख। वर्ष 2023-24 के लिए एसटीसी-एमआईएस पोर्टल।

अनुसूचित जनजातियों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट आवंटन में वृद्धि में परिलक्षित होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, बाध्य मंत्रालयों/विभागों के कुल योजना बजटीय आवंटन में से 1,17,943.73 करोड़ रुपये की राशि डीएपीएसटी निधियों के रूप में आवंटित की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 21525.36 करोड़ रुपये के वास्तविक आवंटन की तुलना में डीएपीएसटी निधियों के आवंटन में लगभग 5.5 गुना वृद्धि है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट भी 2015-16 की तुलना में 2023-24 में लगभग 2.7 गुना बढ़ा है।

जनजातीय विकास के लिए आवश्यकता मूल्यांकन में परिवर्तन के अनुसार डीएपीएसटी व्यय में वृद्धि का रूझान (प्रवृत्ति) जारी रहने की संभावना है।

*****